न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 3988–दो/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 7–11–14 पारित द्वारा तहसीलदार, तहसील देवास प्रकरण कमांक 116/अ–6/2013–14.

1– श्रीमती सीताबाई विधवा छतरसिंह
2– दिलीप सिंह पिता छतरसिंह
निवासीगण ग्राम लसुड़िया छत्रधार
तहसील व जिला देवास .....आवेदकगण

विरूद्ध

1– भेरूसिंह पिता तकतसिंह राजपूत
निवासी ग्राम बडोदियाएम
तहसील सांवेर जिला इंदौर
2– नूर बी पति आदिल शेख नायता
निवासी रानी बाग उज्जैन रोड, देवास
स्थायी पता ग्राम नागदा
तहसील व जिला देवास .....अनावेदकगण

श्री एन0 एस0 सिसौदिया, अभिभाषक, आवेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 11/1/15 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार, तहसील देवास द्वारा पारित आदेश दिनांक 7–11–14 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक कमांक 1 द्वारा ग्राम लसुडिया छत्रधार स्थित सर्वे कमांक 446 रकबा 0.63 हेक्टेयर अनावेदक कमांक 2 से कय की जाकर नामांतरण हेतु आवेदन पत्र तहसीलदार, तहसील देवास के समक्ष प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 116/अ–6/2013–14 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान आवेदकगण द्वारा इस आशय की आपत्ति प्रस्तुत की गई कि प्रश्नाधीन भूमि के वे भूमिस्वामी होकर आधित्यधारी हैं, और उनके द्वारा भूमि का विकय नहीं किया गया है । अनावेदक कमांक 1 द्वारा विकय पत्र की आड़ में नामांतरण हेतु जो

आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, वह प्रचलन योग्य नहीं है, नामांतरण प्रकरण समाप्त किया जाये । तहसीलदार द्वारा दिनांक 7–11–14 को आदेश पारित कर आवेदकगण का आवेदन पत्र निरस्त किया गया । तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों का बिना अवलोकन किये आदेश पारित किया गया है, जो कि अवैधानिक होकर निरस्त किये जाने योग्य है । चूंकि अनावेदक कमांक 2 द्वारा आवेदकगण को परेशान करने के उद्देश्य से कार्यवाही की जा रही है, इसलिए आवेदकगण की शिकायत पर थाना बी.एन.पी. देवास द्वारा उसके विरूद्ध दंड प्रकिया संहिता की धारा 145 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया जाकर अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष विचाराधीन है । उपरोक्त स्थिति पर तहसीलदार द्वारा कोई विचार नहीं किया गया है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक कमांक 2 द्वारा बिना प्रतिफल प्राप्त किये फर्जी मुख्त्यारनामा के आधार पर विकय पत्र पंजीकृत कराया गया है, जो कि आवेदकगण पर बंधनकारक नहीं है, और आवेदकगण द्वारा कथित मुख्त्यारनामा एवं विकय पत्र निरस्ती हेतु व्यवहार न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया है, जो विचारधीन है । उनके द्वारा तहसीलदार का आदेश निरस्त किया जाकर उनके समक्ष प्रचलित कार्यवाही समाप्त किये जाने का अनुरोध किया ।

4/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अनावेदकगण की ओर से व्यवहार न्यायालय के आदेश दिनांक 29–7–2016 की सत्यप्रतिलिपि प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा आवेदकगण का स्वत्व संबंधी वाद निरस्त किया गया है, और व्यवहार न्यायालय द्वारा पारित आदेश राजस्व न्यायालयों पर बंधनकारी है । अतः व्यवहार न्यायालय के आदेश के प्रकाश में यह निगरानी अग्राह्य की जाती है ।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार, तहसील देवास द्वारा पारित आदेश दिनांक 7–11–14 स्थिर रखा जाता है । निगरानी अग्राह्य की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर